उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-173/2018/2854/92-2-18-57जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 03 दिसम्बर 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में कार्यरत रहने के दौरान शासन/विभागाध्यक्ष व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/आदेशों की अवहेलना किये जाने एवं उच्चाधिकारियों को गलत सूचना प्रेषित किये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-136/2018/2633/92-2-18-57जांच/16 दि0 15-10-2018 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-मेरठ के स्थान पर श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी को नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-173/2018/2854(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- पूर्व जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि शासन के कार्यालय आदेश सं0-136/2018/2633/92-2-18-57जांच/16 दि0 15-10-2018 के साथ प्रेषित आरोप पत्र (संलग्नक सहित) मूलरूप में वर्तमान जांच अधिकारी, श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता ग्रा0अ0वि0 परि0-वाराणसी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- जांच अधिकारी/श्री एस0एन0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0,परि0-वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि पूर्व जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता,ग्रा0अ0वि0,परि0-मेरठ से आरोप पत्र (संलग्नक सहित) मूलरूप में प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद।

4- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in